

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 28/01/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 27.01.2026 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

1. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा गोवध के लिए ले जा रहे 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद पिकप, 03 राशि गोवंश व 01 बछड़े के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.01.2026 को थानाध्यक्ष संतोष कुमार पाठक मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ग्राम हब्बासपुर से गोवध के लिए ले जा रहे 01 नफर अभियुक्त विशाल यादव पुत्र विरेन्द्र यादव को 01 अदद पिकप, 03 राशि गोवंश व 01 बछड़े के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 38/26 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -.

विशाल यादव पुत्र विरेन्द्र यादव नि0 ग्राम नसीरपुर थाना नरही जनपद बलिया बरामदगी-

एक अदद पिकप वाहन, 03 राशि गोवंश व 01 बछड़ा

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 38/26 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम

2. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 10 नफर अभियुक्तों का किया गया गिरफ्तार ।

अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 श्रीमन नारायण पाठक मय हमराह द्वारा आज दिनांक 27.01.2026 को मारकण्डे मोड़ तिरछी पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाकर हार-जीत के कम्पटीशन करने हेतु किसी बड़ी घटना की आशंका होने पर 10 नफर अभियुक्तों को

आज दिनांक 27.01.26 को मारकण्डे मोड़ तिरछी से गिरफ्तार कर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत विधिक कार्यवाही की गई।

अभियुक्तगण का विवरण –

- 1- संजय चौहान पुत्र हरिचौहान उम्र करिब 30 वर्ष ग्राम कटौली थाना दुल्लहपुर ,जनपद-गाजीपुर
- 2- सत्येन्द्र कश्यप पुत्र दीपचन्द्र उम्र करिब 24 वर्ष ग्राम अल्देमऊ थाना चिरैयाकोट ,जनपद-मऊ
- 3- चंदन कन्नौजिया पुत्र ओम प्रकाश उम्र करिब 27 वर्ष ग्राम तिरछी थाना दुल्लहपुर जनपद-गाजीपुर हुलिया
- 4-चन्द्रशेखर चौहान पुत्र हरिन्दर उम्र करिब 19 वर्ष ग्राम तिरछी थाना दुल्लहपुर जनपद-गाजीपुर
- 5-नन्दलाल चौहान पुत्र तुफानी चौहान उम्र करिब 26 वर्ष ग्राम तिरछी थाना दुल्लहपुर जनपद-गाजीपुर
- 6-रामआशीष पुत्र दीपचन्द्र उम्र करिब 22 वर्ष ग्राम जमीन सरौदा थाना चिरैयाकोट जनपद-मऊ
- 7-महेश चौहान पुत्र रामअवध उम्र करिब 27 वर्ष ग्राम तिरछी थाना दुल्लहपुर जनपद-गाजीपुर
- 8-संतोष कुमार पुत्र बेचनराम उम्र करिब 29 वर्ष ग्राम मनवा (अभिरहा) थाना चिरैयाकोट जनपद- मऊ
- 9-विवेक यादव पुत्र लालू उम्र करिब 21 वर्ष थाना चिरैयाकोट जनपद-मऊ
- 10-रंजीत मौर्या पुत्र रामकृत उम्र करिब 18 वर्ष ग्राम दुल्लहपुर थाना दुल्लहपुर जनपद-गाजीपुर

3.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 24.11.25 को कोडीन कफ़ सीरप के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा मादक द्रव्य कारोबार से अर्जित अवैध अचल सम्पत्ति कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपये को अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व वांछित अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 13.12.2025 को कोडीन कफ़ सीरप के सम्बंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 896/25 धारा 206 (A), 271, 276, 61(2), 338, 336(3), 318(4), 340(2) BNS व 27(A) औषधि प्रसाधन अधि० व 8/9 (1) A (Va)/21/27A/29 NDPS Act से संबंधित अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी धीरजोतपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर द्वारा मादक द्रव्य कारोबार से अर्जित अवैध आय से अपनी माता नीलम देवी पत्नी अजय सिंह के नाम से अचल सम्पत्ति, मौजा धीरजोत परगना शादियाबाद तहसील जखनियाँ जनपद गाजीपुर उ०प्र० खाता संख्या 00044 आराजी नं० 142 रकबा 0.4570 हे० में से रकबा 0.2530 हे० बाजारु दर पर प्रचलित अनुमानित कीमत 1 करोड़ 85 लाख रुपये को SAFEEMA की धारा 68F में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नियमानुसार अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

फ्रीज की गई सम्पत्ति का विवरण - खाता संख्या 00044 आराजी नं० 142 रकबा 0.4570 हे० में से रकबा 0.2530 हे० अनुमानित बाजारु दर पर प्रचलित कीमत 1 करोड़ 85 लाख रुपये है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास---

1. मु0अ0सं0 896/25 धारा 206 (A), 271, 276, 61(2), 338, 336(3), 318(4), 340(2) BNS व 27 (A) औषधि प्रसाधन अधि० व 8/9 (1) A (Va)/21/27A/29 NDPS Act थाना कोतवाली गाजीपुर

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**